

प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज दिनांक 21.01.2020 को सैक्टर-63 में Mithas Sweets पर ई0टी0पी0 प्लान्ट संचालित न करने, MSW Rules 2016 का अनुपालन न करने, सॉलिड वेस्ट बाहर फैलाने एवं ब्लक वेस्ट जनरेट करने पर रू 1.00 लाख का चालान कर आर्थिक दण्ड लगाया गया, तथा हॉजरी कॉम्पलेक्स सैक्टर-84 में गंदगी फैलाने पर मैसर्स नोबल मॉडलस पर चालान कर रू0 50,000.00 का आर्थिक दण्ड लगाया गया। सैक्टर-62 एवं 82 में गंदगी फैलाने पर निम्न रेडी पटरी वाले पर चालान की कार्यवाही की गयी-

श्री सलेन्द्र पर 1000.00 सैक्टर 62

श्री बाँबी पर 500.00 सैक्टर 62

श्री राजेश पर 500.00 सैक्टर 62

श्री सोनू पर 500.00 सैक्टर 62

श्री बंटी पर 1000.00 सैक्टर 62

श्री धर्मेन्द्र पर 500.00 सैक्टर 62

श्री महेन्द्र पर 1000.00 सैक्टर 62

श्री कृष्णा पर 1000.00 सैक्टर 62

श्री सुभाष पर 500.00 सैक्टर 62

श्री प्रदीप पर 500.00 सैक्टर 62

श्री राजेश पर 500.00 सैक्टर 62

श्री श्यामवीर पर 500.00 सैक्टर 62

श्री डॉली पर 500.00 सैक्टर 62

श्री पवन पर 1000.00 सैक्टर 62

श्री सुधीर पर रू0 500.00 सैक्टर 82

श्री विपिन पर रू0 1,000.00 सैक्टर 82

श्री सुनील पर रू0 500.00 सैक्टर 82

श्री जहरूद्यीन पर रू0 500.00 सैक्टर 82

इस प्रकार कुल 20 चालान कर रू0 1,62,000.00 (रू0 एक लाख बासठ हजार) का आर्थिक दण्ड लगाया गया।